HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 664/2025

Ashok Kumar Gupta Son Of Late Shri Ramswaroop

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Revision Petition No. 436/2025

Shankar Lal Joshi Son Of Shri Vasudev

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohammed Zubeir, Adv. Mr. Shailendra Kumar Saini, Adv. Mr. Upendra Singh Rathore, Adv. with Mr. Krisna Kant, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

16/05/2025

नोटिस जारी किये जाने के अनुक्रम में कुछ देर बहस सुनने के उपरांत यह प्रकट हुआ कि संपूर्ण आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी है।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए एस बी क्रिमिनल रिवीजन पीटीशन नंबर 102/2019 भीनव सिंह उर्फ विक्रम सिंह वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 15.04.19 को आदेश पारित करते हुए कार्यालय को यह निर्देश दिया गया था कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत फर्द दस्तावेज की सूची के अनुसार आरोप पत्र की प्रति पूर्ण होने अथवा अपूर्ण होने के संबंध में रिपोर्ट करे, लेकिन उपरोक्त आदेश की पालना नहीं की जा रही है।

रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ लिपिकगण को इस संबंध में आवश्यक रूप से अवगत करावें तथा उचित निर्देश देवें।

वर्तमान मामले में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि उन्हें आवेदन के उपरांत भी संपूर्ण आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में प्रतिलिपि का आवेदन खारिज होने पर उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष तथ्य रखे जा सकते हैं, अतः आदेश दिया जाता है कि जिन प्रतिलिपियों के संबंध में आवेदन खारिज हुआ है उस आवेदन की प्रति आगामी तिथी पर न्यायालय के समक्ष पेश करे।

दोनों पत्रावली दो **सप्ताह** बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /17-18